<u>सक्षम श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल म0प्र0</u>

पुनरीक्षण याचिका कमांक.........../15

निग/3419/II/15

1. श्री राधेश्याम आत्मज श्री मंशाराम कीर,
आयु लगभग 44 वर्ष,
2. श्री फूलचंद कीर आत्मज श्री मंशाराम कीर,
आयु लगभग 47 वर्ष,
निवासीगीण-ग्राम मकोड़िया (नीनोर),
तहसील-रेहटी, जिला-सीहोर म.प्र. ...पुनीरीक्षणकर्तागण

<u>विरूद्ध</u>

1. श्री मोहन सिंह आत्मज श्री शोभाराम राठौर,
आयु- लगभग 34, निवासी-मकोड़िया (नीनोर),
तहसील-रेहटी, जिला-सीहोर, म.प्र..
2. श्री मिश्रीलाल आत्मज श्री मंशाराम कीर,
आयु- लगभग 34, निवासी-मकोड़िया (नीनोर),
तहसील-रेहटी, जिला-सीहोर, म.प्र.
3. प्रमोद आत्मज श्री सुन्दरलाल, आयु-वयस्क,
निवासी- मकोड़िया (नीनोर),
तहसील-रेहटी, जिला-सीहोर, म ...उत्तरदातागण

19/10/15

<u>पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.संहिता 1959</u>

पुनरीक्षणकर्ता गण की ओर से निवेदन है किः-

पुनरीक्षणकर्ता गण माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील-रेहटी, जिला-सीहोर के रा. प्र. कं. 5/अ/13 पक्षकारगण मोहनसिंह राठौर विरूद्ध राधेश्याम व अन्य में दिनांक 20/05/2014 को पारित आदेश से दुखी व क्षुब्ध होकर माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष ठोष तथ्यों एवं आधारो पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहे है, जिसमें उन्हें सफल होने की पूर्ण आशा है।

श्री बी.एल. यादव अधि. द्वारा कैम्प भोपाल में प्रस्तुत 19-10-15

<u>पुनरीक्षण याचिका का संक्षिप्त विवरण</u>

उत्तरदाता कमांक 01 मोहन सिंह राठौर ने पुनरीक्षणकर्ता गण व पुनरीक्षण में उत्तरदाता क्रमांक 02 के खिलाफ माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील रेहटी, जिला-सीहोर म.प्र. के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 म. प्र. भू. रा. संहिता का असत्य आधारों पर तथा-कथित सीमाकंन का प्रस्तुत किया था। जिसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय ने एकांकी दृष्किोण अपनाते हुए म.प्र. भू. रा. सहिंता की प्रकियाओं का पालन न करते हुए उत्तरदाता कमांक 01 में पक्ष में सीमाकंन आदेश पारित कर दिया।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक नि० 3419/II/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-1-16	आवेदक अधिवक्ता को तर्क का मौका दिया गया। उन्होंने निगरानी मेमो के आधार पर निर्णय लिये जाने का निवेदन किया। पुनरीक्षणकर्तागण ने निगरानी मेमो के साथ शपथपत्र देते हुए यह मुद्दा उठाया है कि उन्हें सूचनापत्र, जानकारी या पक्षसमर्थन का अवसर दिए बगैर गैरनिगराकर्ता मोहनसिंह की भूमि स. नं. 554, 555 का सीमांकन कर आक्षेपित आदेश दि. 20.5.14 द्वारा स. नं. 554 पर उनका अवैध कब्जा बताते हुए सीमांकन किया गया है, और उन्हें धारा 250 का नोटिस मिलने पर इस सीमांकन की जानकारी हुई जिसकारणवश उन्होंने 1 वर्ष 2 माह विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की। इन बिन्दुओं एवं शपथपत्र के प्रकाश में तहसीलदार रहटी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे विषयांकित भूमि स. नं. 554, 555 ग्राम जीनोर, प. ह. 24, तह. रहटी के संबंध में धारा 250 के अधीन या अन्य कोई	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आक्षेपित आदेश द्वारा किए गए सीमांकन के फलस्वरूप की जाने / की जा सकने वाली कार्यवाही को (आगे) करने के पूर्व निम्न कार्यवाही अनिवार्यतः पहले पूर्ण करें:- (1) वे अपने न्यायालय के संबंधित प्र. क्र. 5/अ 12/13-14 को पुनः खोलकर पढ़ देखें कि क्या उसमें सीमांकन के पूर्व समस्त सरहदी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों को, विशेषकर निगराकारगण को, सूचना एवं पक्ष समर्थन का विधिवत समुचित अवसर दिया गया है या नहीं। इस संबंध में वस्तुस्थिति एवं आधारों का डीटेल (detail) में खुलासा करें। चूंकि निगराकारगण का कहना है कि पंचनामा फर्जी है, अतः इस कार्यवाही के दौरान निगराकारगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दें। (2) यदि निगराकारगण को पक्ष सुनने और अभिलेख देखने के बाद तहसीलदार को यह लगता है कि निगराकारगण को बगैर सूचना एवं पक्षसमर्थन के अवसर दिये उनका अवैध कब्जा बताते हुए सीमांकन किया गया है तो	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1673 अपील / II / 15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पुनः सीमांकन की समूची कार्यवाही निगरानीकारगण सहित समस्त सरहदी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुए नए सिरे से करवाएं। (3) उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त तहसीलदार अपने नवीन आदेश में यह स्पष्ट खुलासा करें कि सीमांकन आवेदन से संबंधित भूमि के सरहदी कृषक और हितबद्ध पक्षकार कौन-कौन कौन-कौन हैं, उन्हें सूचना किस-किस प्रकार तामील कराकर पक्ष-समर्थन हेतु किस-किस प्रकार अवसर दिया गया, प्रत्येक सरहदी कृषक और हितबद्ध पक्षकार ने अपने-अपने पक्ष समर्थन में क्या-क्या बिन्दु प्रस्तुत किए, और ऐसे प्रत्येक बिन्दु का उन्होंने (तहसीलदार ने) किस-किस प्रकार निराकरण किया। तहसीलदार अपने आदेश में यह भी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्पष्ट करें कि उन्होंने सीमांकन की पुष्टि की है या नहीं, तथा यह भी कि उनके आदेश के अंग कौन कौन से अनुलग्नक हैं। वे फील्डबुक, नक्शा, पंचनामा आदि सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपने आदेश का अंग बनाएं। — प्रकरण में विलम्ब माफ किया जाता है। — आरोपित आदेश दि. 20.5.14 में उपरोक्त बातों का अभाव होने के कारण उसे अपास्त किया जाता है; इसके आधार पर की जाने/जा सकने वाली अनुवर्ती कार्यवाही भी [illegible] स्वमेव खण्डित मानी जाए। — उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन करते हुए, इस आदेश की संसूचना के अधिकतम छः सप्ताह के भीतर, तहसीलदार रहटी प्र. क्र. 5/अ-13/13-14 में नए सिरे से आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। निगराकारगण, गैरनिगराकारगण, सरहदी कृषक एवं हितबद्ध पक्षकार उन्हें इस प्रकार सम्यक कार्यवाही पूर्ण करने में अपेक्षित सहयोग दें। आदेश पारित। पक्षकारगण एवं तहसीलदार रहटी सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 12.1.16 (सदस्य)	

M